

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 01/2022- संघ राज्य कर

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2022

सा.का.नि. (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 23 की उप धारा (2) के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 21 के खंड (vi) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2019- संघ राज्य कर, दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 192 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा; यथा: -

| | | |
|----|------------|---|
| 4. | 6815 | फ्लाइ ऐश की ईटे या फ्लाइ ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाइ ऐश हो; फ्लाइ ऐश ब्लॉक्स |
| 5. | 6901 00 10 | सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटे |
| 6. | 6904 10 00 | निर्माणी ईटे |
| 7. | 6905 10 00 | फर्श की या छत की टाइले” |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं 190354/56/2022-टी.आर.यू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 02/2019- संघ राज्य कर, दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 192(अ), दिनांक 07 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।